BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 थाना सलेमपुर

हत्या का षडयन्त्र रचने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2025 को वादी राजेश कुमार पुत्र किशन स्वरूप निवासी ग्राम चिट्टा उर्फ चिरचिटा थाना सलेमपुर ने थाना सलेमपुर पर तहरीर दी कि उसके गांव निवासी लाल सिंह ने अपने बेटे भीम सिंह की पत्नी की हत्या करने के लिए उसके भाई सुभाष को तमंचा दिया हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सलेमपुर पर मुअसं-320/25 धारा 61(2)(a), 111 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में दिनांक 26.10.2025 को थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर अभियुक्त सुभाष व लाल सिंह को 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सलेमपुर पर उक्त अभियोग में धारा 3/25 की वृद्धि करते हुए करते हुए, अभियुक्तो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- सुभाष पुत्र किशन स्वरूप निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर ।

2. लाल सिंह पुत्र कमलवा निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
2. 01 मोबाइल फोन (घटना में प्रयुक्त)

घटना का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त लाल सिंह ने पूछताछ पर बताया कि उसका पुत्र भीम सिंह सीआरपीएफ में हैं। उसकी शादी वर्ष -2015 में रीना से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनो के मध्य पारिवारिक विवाद हो गया तथा दोनो अलग रहने लगे थे। भीम सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह के साथ मिलकर रीना को मारने की योजना बनाई गयी तथा लाल सिंह द्वारा रीना की हत्या करने के लिए अपने गांव निवासी सुभाष को तमंचा व कारतूस दिये गये एवं भीम सिंह द्वारा सुभाष के मोबाइल फोन पर रीना का फोटो भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सुभाष का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-1382/…..302, 201, 363, 392, 411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2. मुअसं-286/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

3. मुअसं-18/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

4. मुअसं-307/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

5. मुअसं-83/2003 धारा 147,148,149,302 भादवि थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

6. मुअसं-320/25 धारा 61(2)(a), 111 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रविन्द्र कुमार थानाध्यक्ष सलेमपुर।
2. उ0नि0 मनोज सहरावत, उ0नि0 अनिल कुमार
3. है0का0 संदीप कुमार, है0का0 मेघ सिंह, है0का0 जितेन्द्र कुमार, का0 सुरजीत सिंह

मीडिया सेल बुलंदशहर।